26.3-19 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान मय वकील उप० हैं। बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन कर साक्ष्य का व.1.प्र० पर स्वीकार कर विस्तृत आदेश पृथक से अंकित करवाया जाकर खारिज पत्रावली किया गया। सम्बन्धित को सूचनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official